संख्या-29/2022/1346/अरसठ-4-2022-12(17)/2019

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांकः 29 दिसम्बर, 2022

विषयः-केन्द्रीय योजना ''समग्र शिक्षा' के अधीन संचालित टीचर एजूकेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा एस0टी0 मद (अनुदान संख्या-81) में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 5.19 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-राशै0/ए-1/TE/34536/2022-23 दिनांक 07-11-2022, जिसके द्वारा केन्द्रीय योजना ''समग्र शिक्षा' के अधीन संचालित टीचर एजूकेशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा एस0टी0 मद (अनुदान संख्या-81) में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 5.19 लाख का संगत राज्यांश रू0 3.46 लाख अर्थात् कुल रू0 08.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 5.19 लाख (रूपये-पांच लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं योजना से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |
2. योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
3. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्गत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा|
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा,जिसके निमित्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

5. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42 आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी|
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जाएगी|
7. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 उत्तरदायी होगें।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून 2022 एवं शासनादेश दिनांक 10-11-2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आहरित कर उक्त कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत केन्द्रांश के लेखाशीर्षक 4202-01-796-01-08 मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-11-145-X-2022-23, दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
धर्मेन्द्र मिश्र
अनु सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/लेखापरीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, टीचर्स एजूकेशन, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2 ।
5. संयुक्त निदेशक, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (बेसिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन।
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता)/नियोजन अनुभाग-4
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।